अनुदान संख्या 96 – चंडीगढ़
GRANT No. 96–CHANDIGARH

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*30,93,00*	*28,66,09*	*–2,26,91*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*2,23,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	902,43,00	983,24,00	973,80,73	–9,43,27
पूरक	Supplementary	80,81,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,97,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*25,00*	*25,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	152,35,00	156,30,00	155,15,53	–1,14,47
पूरक	Supplementary	3,95,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क-गृह मंत्रालय	**A -Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	*O.*	*2941.00*	*2720.00*	*2716.09*	*–3.91*
पु.	*R.*	*–221.00*			

(I) *2.00* लाख रु. का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "2014'' - "उच्च न्यायालय - स्थापन'' के अंतर्गत *224.91 लाख* रु. की बचत (*2941.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* सहित) कंप्यूटरीकरण परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने, उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के रिक्त पदों के न भरे जाने और मुद्रणालयों से कम बिल प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2014" – "High Courts-Establishment"- saving of *Rs.224.91 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.2941.00 lakhs*) was due to non-finalisation of computerisation project, non-filling up of vacant posts of High Court Judges and less receipt of bills from printing press.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (943.27 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 8081.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.943.27 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary grants of Rs.8081.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
क-गृह मंत्रालय	**A -Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2014''	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	730.00			
पू.	S.	43.00	759.70	711.69	–48.01
पु.	R.	–13.30			
ज-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J- Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष "2210''	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	6968.00			
पू.	S.	1.00	7278.61	7276.38	–2.23
पु.	R.	309.61			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ट-प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	**K-Department of Elementary Education and Literacy**					
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	4157.00				
पू.	S.	2245.00		4306.11	4291.26	–14.85
पु.	R.	–2095.89				
ठ-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**L-Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	9086.00				
पू.	S.	440.00		9366.56	9349.26	–17.30
पु.	R.	–159.44				
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education					
मू.	O.	1764.00				
पू.	S.	160.00		1888.10	1886.54	–1.56
पु.	R.	–35.90				
ध-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport					
मू.	O.	7098.00				
पू.	S.	324.00		7475.56	7474.66	–0.90
पु.	R.	53.56				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U-Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	12418.00			
पू.	S.	141.00	13594.37	13594.30	–0.07
पु.	R.	1035.37			
व-सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	**W-Ministry of Social Justice and Empowerment**				
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	315.00			
पू.	S.	48.00	322.94	320.58	–2.36
पु.	R.	–40.06			

(I) 11.16 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.11.16 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2014" - "विधिक सलाहकार और परामर्शदाता - चंडीगढ़ विधिक कक्षा" के अंतर्गत 126.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 133.70 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 51.04 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2014" – "Legal Advisors and Counsels - Chandigarh Legal Cell" - the original provision of Rs.126.70 lakhs was augmented to Rs.133.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.51.04 (including supplementary grant) due to non-filling up of vacant posts.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014" - "उच्च न्यायालय - स्थापन"- 246.89 लाख रु. के मूल प्रावधान को 16.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 262.89 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के कुछ

(A) Major Head "2014"- "High Courts-Establishment"- the original provision of Rs.246.89 lakhs was augmented to Rs.262.89 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.16.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.9.08 lakhs – due to

पदों के कुछ अवधि तक रिक्त रहने के कारण 9.08 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2202"-

(क) "प्रारंभिक शिक्षा"-

(i) "निदेशन और प्रशासन - प्राथमिक विद्यालय"- 3738.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 330.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4068.90 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा दावों के कम प्राप्त होने और बिलों के समय पर प्राप्त न होने के कारण 226.40 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "शिक्षक प्रशिक्षण - राज्य शिक्षा संस्थान"- 79.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 15.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 94.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो प्राथमिक सहायताप्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान कम जारी किए जाने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 13.59 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(iii) "अन्य व्यय - अन्य स्कीमें"- 182.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1900.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2082.60 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो योजना आयोग द्वारा परवर्ती चरण में अनुदान की पूरक मांगों के प्रथम बैच में उपलब्ध कराई गई राशि के प्रयोजन में परिवर्तन किए जाने के कारण 1859.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा अत: इस राशि को अभ्यर्पित कर दिया गया।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय"- 2532.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 335.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2867.50 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त किए जाने और अन्य बिल समय पर प्राप्त न किए जाने के कारण 75.76 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

some posts of High Court Judges remained vacant for certain period.

(B) Major Head "2202"-

(a) "Elementary Education"-

(i) "Direction and Administration - Primary School"- the original provision of Rs.3738.90 lakhs was augmented to Rs.4068.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.330.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.226.40 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less receipt of medical claims and non-receipt of bills in time.

(ii) "Teachers Training - State Institute of Education" – the original provision of Rs.79.00 lakhs was augmented to Rs.94.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.15.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.13.59 lakhs – due to less release of Grants-in-aid to primary aided schools and non-filling up of vacant posts.

(iii) "Other Expenditure - Other Schemes" - the original provision of Rs.182.60 lakhs was augmented to Rs.2082.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1900.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1859.42 lakhs - due to change in purpose for which the amount provided in 1st batch of Supplementary Demands for Grants by the Planning Commission at subsequent stage hence amount was surrendered.

(b) "Secondary Education - Government Secondary Schools - Secondary Schools" - the original provision of Rs.2532.50 lakhs was augmented to Rs.2867.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.335.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent to Rs.75.76 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, less receipt of medical claims and non-receipt of other bills in time.

(ग) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - सरकारी व्यावसायिक कालेज''- 371.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 391.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त किए जाने और पानी और बिजली के बिलों के प्राप्त न किए जाने के कारण 18.01 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2203'' - ''इंजीनियरी/तकनीकी कालेज और संस्थान''-

(क) ''पंजाब इंजीनियरी कालेज''- 1027.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 125.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1152.00 लाख रु. कर दिया तथापि, जो 30.92 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) ''चंडीगढ़ आर्कीटेक्चर कालेज'' - 217.95 लाख रु. के मूल प्रावधान को 23.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 240.95 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो 19.07 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सामग्री की कम खरीद किए जाने और पदों का सृजन न किए जाने के कारण हुई।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम-मरम्मत तथा अनुरक्षण''- 1080.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 47.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1127.30 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो सामग्री की कम खरीद किए जाने और रिक्त पदों न भरे जाने के कारण 31.67 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन - संपदा कार्यालय''- 311.35 लाख रु. के मूल प्रावधान को 140.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 451.35 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो योजना आयोग द्वारा परवर्ती चरण में अनुदान की पूरक मांगों के

(c) "University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Government Professional Colleges"- the original provision of Rs.371.00 lakhs was augmented to Rs.391.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.18.01 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less receipt of medical claims and non-receipt of water and electricity bills.

(C) Major Head "2203"- "Engineering/ Technical Colleges and Institutes"-

(a) "Punjab Engineering College"- the original provision of Rs.1027.00 lakhs was augmented to Rs.1152.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.125.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.30.92 lakhs; and

(b) "Chandigarh College of Architecture"- the original provision of Rs.217.95 lakhs was augmented to Rs.240.95 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.19.07 lakhs.

Savings under the above two heads were due to less purchase of material and non-creation of posts.

(D) Major Head "3055"- "Chandigarh Transport Undertakings - Repairs and Maintenance" - the original provision of Rs.1080.30 lakhs was augmented to Rs.1127.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.47.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.31.67 lakhs – due to less purchase of material and non-filling up of vacant posts.

(E) Major Head "2217"- "General- Direction and Administration - Estate Office" - the original provision of Rs.311.35 lakhs was augmented to Rs.451.35 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.140.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.133.44 lakhs – due to change in purpose for

प्रथम बैच में उपलबध कराई गई राशि के प्रयोजन में परिवर्तन किए जाने के कारण 133.44 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा अत: इस राशि को अभ्यर्पित कर दिया गया।

(चा) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार को अनुग्रह अदायगी"- 60.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 48.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 108.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो हिताधिकारियों की कम संख्या होने के कारण 11.90 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 71.80 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 57 प्रतिशत थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1435.19 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2005 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज"- 256.19 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 255.17 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2217" - "सामान्य - स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता - चंडीगढ़ नगर निगम"- 1179.00 लाख रु.।

(II) तीन शीर्षों के अंतर्गत 193.65 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (114.47 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 395.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

which the amount provided in 1st batch of Supplementary Demands for Grants by the Planning Commission at subsequent stage hence amount surrendered.

(F) Major Head "2235"- "Other Social Security and Welfare Programme - Other Expenditure - Ex-gratia payment to the Family of deceased Government Servants" - the original provision of Rs.60.00 lakhs was augmented to Rs.108.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.48.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.90 lakhs - due to less numbers of beneficiaries.

(IV) Under one head saving of Rs.71.80 lakhs occurred constituting 57 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.1435.19 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2005 under the following major heads:-

(A) Major Head "2210"- "Medical Education, Training and Research – Allopathy - Government Medical College" - Rs.256.19 lakhs. Actual excess, however, was Rs.255.17 lakhs.

(B) Major Head "2217" - "General-Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Board etc. - Municipal Corporation Chandigarh" - Rs. 1179.00 lakhs.

(II) Under three heads excess of Rs.193.65 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 11 percent to 33 percent of the sanctioned provision.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.114.47 lakhs) constituted 29 percent of the supplementary grant of Rs.395.00 lakhs obtained in March, 2005 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
घ-विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	2895.00	2495.00	2470.37	–24.63
पु.	R.	–400.00			
ञ-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J-Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	839.00	830.47	830.39	–0.08
पू.	S.	10.00			
पु.	R.	–18.53			
ठ-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**L-Department of Secondary Education and Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture				
मू.	O.	491.00	833.57	827.89	–5.68
पू.	S.	10.00			
पु.	R.	332.57			
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U-Ministry Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	370.00	593.32	593.27	–0.05
पू.	S.	10.00			
पु.	R.	213.32			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष ''4217'' शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development					
मू.	O.	8967.00		8600.95	8600.71	–0.24
पु.	R.	–366.05				

(I) 55.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''4210'' - ''चिकित्सा शिक्षा (प्रशिक्षण और अनुसंधान) - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज/ 500 बिस्तरों वाला द्वितीय सामान्य अस्पताल सेक्टर, 32, चंडीगढ़'' के अंतर्गत 740.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 750.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 35.08 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सरकारी चिकित्सा कालेज और अस्पताल सेक्टर, 32, चंडीगढ़ के ब्लॉक 'डी' में फाल्स सीलिंग, इन्सीनिरेटरों और एलिवेटरों से संबंधित निर्माण कार्यों के संबंध में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''संचरण तथा वितरण - उचंत - स्टॉक'' के अंतर्गत 424.53 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेंट्रल स्टोर के लिए सामग्री की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''राज्य की राजधानी का विकास'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''निर्माण - अन्य स्कीमें''- 249.20 लाख रु. की बचत (1360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गांव में चार ट्यूबवैलों के न लगाए जाने और भवनों का ज्ञान का संग्रहालय से संबंधित स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.55.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under Major Head "4210" - "Medical Education (Training and Research) – Allopathy - Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital Sector 32, Chandigarh"- the original provision of Rs.740.00 lakhs was augmented to Rs.750.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.35.08 lakhs (including supplementary grant) due to delay in connection of false ceiling incinerators and elevators works in Block 'D' of Government Medical College and Hospital Sector 32, Chandigarh.

(III) Under Major Head "4801" – "Transmission and Distribution - Suspense – Stock" - saving of Rs.424.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to purchase of less material for Central Store.

(IV) Under Major Head "4217" - "State Capital Development" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Construction - Other Schemes" - saving of Rs.249.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1360.00 lakhs) was due to non-installation of four tubewells in village and non – finalisation of scheme regarding Museum of knowledge of Buildings.

(खा) ''अन्य व्यय - अन्य विकास स्कीमें''- 112.92 लाख रु. की बचत (164.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक अनुमोदन विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - Other Development Schemes"- saving of Rs.112.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.164.00 lakhs) was due to late receipt of administrative approval.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 52.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 87 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.52.00 lakhs occurred constituting 87 percent of the sanctioned provision.

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (300.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2005 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

5.(I) The above savings were partly (Rs.300.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs in March, 2005 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''तकनीकी शिक्षा - पालीटेक्निक्स - भवन''- 100.00 लाख रु.।

(A) Major Head "4202" - "Technical Education – Polytechnics – Building" - Rs.100.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन- सामान्य पूल आवास - सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास''- 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.96 लाख रु. था।

(B) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - General Pool Accommodation - Accommodation for Government Employees" – Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.96 lakhs.

(II) सात शीर्षों के अंतर्गत 523.52 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत से 14124 प्रतिशत तक था।

(II) Under seven heads excess of Rs.523.52 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 29 percent to 14124 percent of the sanctioned provision.